

25/HP/2014/HRD
4/5/14
1:40 PM

प्रारूप 2क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें
भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति

का नाम उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम

सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग

सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 27-BANKA

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम सुनील नारायण झा

पिता/माता/पति का नाम सुनील लक्ष्मण झा (लक्ष्मण झा)

उसका डाक पता ग्राम बड़ौना; पोस्ट ऑफिस: बड़ौना, थाना: बावटहर, जिला: बौधलो

उसका नाम 27-BANKA संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

161-बौधलो विधान सभा
*(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 147 में क्रम संख्यांक 884

पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	161 बोंका विधानसभा	146	790	परमानन्द सिंह	परमानन्द सिंह -	4/4/2014
2.	161 बोंका विधानसभा	146	862	निलकंठ झा	निलकंठ झा -	4/4/2014
3.	161 बोंका विधानसभा	147	433	अमित कुमार सिंह	अमित कुमार सिंह -	4/4/2014
4.	161 बोंका विधानसभा	146	823	हरेंद्र प्रसाद मिश्र	हरेंद्र प्रसाद मिश्र -	4/4/2014
5.	161 बोंका विधानसभा	147	784	जगदीश पंडित	जगदीश पंडित -	4/4/2014
6.	161 बोंका विधानसभा	146	70	इस्तियाक आलम	इस्तियाक आलम -	4/4/2014
7.	161 बोंका विधानसभा	146	111	कलम	कलम -	4/4/2014
8.	161 बोंका विधानसभा	146	150	निलम	निलम -	4/4/2014
9.	161 बोंका विधानसभा	147	316	निरंजन ठाकुर	निरंजन ठाकुर -	4/4/2014
10.	161 बोंका विधानसभा	146	1229	अमित कुमार सिंह	अमित कुमार सिंह -	4/4/2014

कृपया ध्यान दें - प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ४९३ (६३) वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में _____ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में अखिल भारतीय दूधमूल कांसेस दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) दूधमूल कांसेस (ii) जोड़ा फूल जो

(iii) दूधमूल कांसेस का है।
युगल चिह्न, जोड़ा फूल

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो _____ राज्य के उस राज्य में के _____ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख ०४/०४/२०१४

सुकोच नारायण का
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में **में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र " शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू, कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

ध्यान दें - ** मान्यताप्राप्त राजनैतिक " दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अनिर्देशित है।

भाग 3क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
- (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
- (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/नहीं ✓ नहीं

¹ अधिसूचना सं० का०आ० ९३५(अ), तारीख ३ सितम्बर, 2002 द्वारा अंतः स्थापित।

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है : लागू नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : लागू नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना

(थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था : लागू नहीं

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें) : लागू नहीं

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था : लागू नहीं

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें लागू नहीं

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं : लागू नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ लागू नहीं

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे : लागू नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं: लागू नहीं
लागू नहीं:

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू नहीं

सुनील नारायण का
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

स्थान : का का

तारीख : 4/4/2014

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० 25

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 4.4.14 (तारीख) को 1:20 PM (वजे)

*अभ्यर्थी/प्रसूष्कारक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 4.4.14

4/4/14
सहायक निर्वाची महाधिलारी
रिटर्निंग आफिसर
27-बॉक्स संसदीय नियोजन क्षेत्र

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर

लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

रिटर्निंग आफिसर,

(छिद्रण)

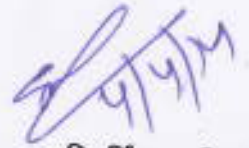
*तानू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 25 का, जो 27-कोव संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 4.4.14 (तारीख)
को 1.20 P.M. (बजे) * अभ्यर्थी/प्रस्थानकर्ता द्वारा परित्त किया गया। सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा
7.4.14 (तारीख) को 11.00 AM. (बजे) निर्वाची पदाधिकारी (स्थान) में की जाएगी।
के. कर्मानन्द

तारीख 4.4.14



रिटर्निंग आफिसर

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
27-बोका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

शब्द खाली न हो उसे काट दीजिए।

के. कर्मानन्द

(अ) अ. नरमन म.

4/4/2014



7089 8226391



A. No. 260

Date 4/12/2017

27 - Banka लोक सभा-कौका निर्वाचन क्षेत्र

से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

A. No. 260

Date 4/12/2017

भाग-क

मैं शुबोध नारायण झा ** पुत्र/पुत्री/पत्नी स्वर्गीय एकनाथ झा आयु ६३ (63)
वर्ष, जो ग्राम: बड़ौना, पीछाऊँक: बड़ौना, थाना: बाखीए, जिला: कौका

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त

निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता
हूँ/करती हूँ:-

मैं तृपामूलका 126 (असिम माधवी तृपामूलका कांग्रेस) (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया
अभ्यर्थी / ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 161-कौका विधानसभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 147 (180)
के क्रम सं० 884 (228) पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 0988844454 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)
judab2007@yahoo.co.in है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं <u>शुबोध नारायण झा</u>	<u>ACHPJ43182</u>	<u>2010-11</u>	<u>523294.00</u> (<u>823288.00</u>)
2	पति या पत्नी <u>स्वर्गीय एकनाथ झा</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
3	आश्रित-1 <u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
4	आश्रित-2 <u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
5	आश्रित-3 <u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय में संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

4/4/2014

— 2010

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम अस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वाभित्त्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरणी दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने है।

विषय 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रितों का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नगदी	₹ 25,000	1,25,000	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹ 25,000/- कोई बैंक खाते नहीं हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे	₹ 30,000/- कोई बीमा पालिसी नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सिख जी आरंभ
1910-1915

	और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	रु. 20,000/- 30,000/- 40,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	8 लाख कम 20,000/- 10,000/- 5,000/- 3,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (भेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	2005- 31.5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	32,000/- 100 ग्राम 3 लाख का	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	13,85,000/- (95,23,000/-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना



Shyam Das Thakur
Notary Public
Buxar

क्रमांक	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याएं (संख्याएं)	22/252 1941/292 830/1804	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1.02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	20 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याएं (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्य भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वाणिज्य भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	अवस्थिति 781, F-605, गुरुगम, हरियाणा	वाणिज्य भवन 781, F-605, गुरुगम, हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) (9624)	1659	150059 H.	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1659	150059 H.	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां/या नहीं)	हां/या नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	2009	1993	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	43 LAC	Rs. 5000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	6.25 LAC	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	85 LAC	6.18 LAC	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	6.85 LAC	6.18 LAC	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

5/11/2014

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	22.5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और इलेक्ट्रिक साइकिल सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	घनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि एवं पेंशन

(ख) प्रति या पत्नी गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

(i) मैट्रिक : विद्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड : 1964-65

(ii) प्रार्थक-वाणिज्य : मा. प्र. बोर्ड, कलकत्ता : 1965-66

(iii) एग्रेग्रेट, वाणिज्य : आर्य समाज का बोर्ड, कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय - 1969.

(प्रमाणपत्र/डिलोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें) **260**

Q. No. **260**

Date **4/12/2014**

भाग-ख

(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु सुभाष नाथय्या का	
2	डाक का पता	मुला: अदोना, पोस्टा: अदोना, जिला: बांका	
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	27- बांका (27-BANKA) लोकसभा, बिहार	
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	आखिल भारतीय वृणमूल काँग्रेस	
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से जुड़नीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं	
5	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं	
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और धरित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं	
7		का स्थायी लेखा सं० ACHPJ-43180	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है 2010-11
	(क) अभ्यर्थी : सुभाष नाथय्या का	523294/-	कुल दर्शित आय
	(ख) प्रति मा पत्नी : उषा का	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित : शून्य	शून्य	शून्य



anyam Udu Ina
Sotary Public B...
Sihm

14/11/2014

8	आस्तियों और दायित्वों के (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) Maruti (मारुती) की अंगूठी (हीरे अंगूठी)	3-50,000 35,000 कुल-3.85 लाख	39,211 100 ग्राम लोहा 30,000 (3 लाख)	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	पुत्रा अधिलेख के साथ-साथ F-605, Sec 78, Gurgaon	83 लाख की (ह 43 लाख) 4 लैंड	5000/- (पू 8 लाख)	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	2.5 लाख (2.5 लाख)	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	22 लाख (ह 85 लाख)	पुत्रा अधिलेख के साथ- F-605 सेक्टर 78, गुरुग्राम, हरियाणा	18 लाख (18 लाख)	शून्य	शून्य
(क)	स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	22 लाख (ह 85 लाख)	पुत्रा के साथ लक्ष्मी की	18 लाख	शून्य	शून्य
(ख)	विरासत आस्तियां (कुल मूल्य)	20 लाख	पुत्रा के विकास में निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	22.5 लाख गुएफय मृदा	पुत्रा के साथ-साथ लक्ष्मी की	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं : शून्य					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Shyam Lal Sharma
Notary Public
Banna

11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : स्नातक, वाणिज्य, आनंद मोहन कॉलेज, कोलकाता कोलकाता विश्वविद्यालय, वर्ष-1969.
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामला नहीं है ;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 04-अप्रैल-2014 को सत्यापित किया गया Public Bank Office
(4-अप्रैल-2014)
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य या लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(c) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य या लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याये है/ हैं 09818844454 (09818844454)

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है gdab2003@yahoo.co.in

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है 2204

